न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम 32 / 2017

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

अक्षय कुमार महतो..... प्रथम पक्ष

बनाम

मुकेश कुमार महतो.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
11-12-17	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, सोनाहातु के अप्राथमिकी सं०–01 / 2017 दिनांक–07 / 03 / 2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद आपसी मन मुटाव को लेकर तनाव से उत्पन्न हुआ है। **प्रथम पक्ष गवाही–** प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 मनमोहन सिंह मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि कि मैं कोन्दा ग्राम का ग्राम प्रधान हूँ, मैं उभय पक्ष को जानता हूँ। प्रथम पक्ष को धमकी मुकेश कुमार महतो दिया था। पेंड़ेंगचौली ग्राम में गोवरधन लोहरा के घर में द्वितीय पक्ष ने धमकी दिया। घटना के दिन द्वितीय पक्ष वहाँ था मैं भी वहीं सामने था। मैं जाकर प्रथम पक्ष को बतलाया कि द्वितीय पक्ष आपको मारेंगे पीटेंगे बोल रहा है। द्वितीय पक्ष इससे पहले किसी को धमकी दिया है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। द्वितीय पक्ष अभी पढ़ता है बाहर में रहता है। घटना के संबंध में पुलिस गाँव गई थी, मुझसे पूछताछ नहीं की थी। गवाह सं०–02 सूर्यमोहन महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्ष को जानता हूँ। घटना की तिथि–01 / 03 / 2017 है उक्त तिथि को मैं भोज खाने पेड़ेंगचौली में गोवरधन लोहरा के घर में कर्णवेद का कार्यक्रम था। भोज के दौरान द्वितीय पक्ष भी वहां उपस्थित था, अचानक मुकेश महतो हल्ला करने लगा कि प्रथम पक्ष को मारपीट करेंगे, मारपीट गोली बारूद से करेंगे। प्रथम पक्ष कर्णवेद भोज खाने नहीं गए थे। द्वितीय पक्ष इससे पहले गाली गलौज किए थे या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कर्णवेद कार्यक्रम के बाद से द्वितीय पक्ष गाली गलौज नहीं किए हैं और ना सुने हैं अभी प्रथम पक्ष हाट बाजार करते हैं न्यायालय भी आज अकेले आए हैं। गवाह सं०–02 अक्षय कुमार महतो (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि इस केस में मैं प्रथम पक्ष हूँ, घटना की तिथि–01 / 03 / 2017 है, उस दिन गोबरधन लोहरा, ग्राम पेड़ेंगचौली के घर में नाती का कर्णवेद कार्यक्रम हो रहा था, उसी दिन मुकेश कुमार महतो ने जो मुझे जान	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश टिप्पणी सहित

से मारने की धमकी दी इसकी जानकारी ग्राम प्रधान मनमोहन सिंह मुण्डा, सूर्यमोहन महतो ने दिया। मुकेश कुमार महतो की माँ रंभा देवी कोनदा गाँव में EGS विद्यालय चलाती थी, बच्चों की संख्या कम होने के कारण विद्यालय बंद हो गया उनलोगों को शक है मैंने लिखा पढ़ी करके विद्यालय बन्द करवा दिया है इसी कारण हमको जान से मारने की धमकी दिया है। केस चलने के बाद से मुकेश कुमार महतो मुझे गाली गलौज या रास्ता में रोक टोक नहीं किया है।

द्वितीय पक्ष गवाही–

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 गिरधारी लोहरा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष को मैं जानता हूँ यह केस अक्षय कुमार महतो ने किया है वे मास्टर थे। मुकेश कुमार महतो पढ़ाई लिखाई करता है, राँची में रहता है। 01/03/2017 को मेरे घर में कर्णवेद था मेरे बेटे और बेटी का कर्णवेद था, इस कार्यक्रम में उभय पक्ष मेरे घर नहीं गए थे। मेरे घर में मुकेश कुमार महतो द्वारा अक्षय कुमार महतो को किसी प्रकार का गाली गलौज नहीं किया गया था। मुकेश कुमार महतो की माँ इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी, मैं किसी के द्वारा उस कार्यक्रम में हो हल्ला या गाली गलौज नहीं सुना और ना कोई हमको बताया। ग्राम प्रधान मनमोहन सिंह मुण्डा और सूर्य मोहन मुण्डा द्वारा न्यायालय में अक्षय कुमार महतो को मारपीट, गाली गलौज या जान से मारने की धमकी वाली बात गलत है, उभय पक्ष में वर्त्तमान में झगड़ा नहीं हुआ है और दोनों के बीच झगड़ा होने की संभावना नहीं है।

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 मुकेश कुमार महतो (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं राँची में रहकर पढ़ाई करता हूँ, प्रथम पक्ष परेशान करने के लिए यह केस किया है। दिनांक–01/03/2017 को पेड़ेंगचौली में गोवरधन लोहरा के घर में कानबेधी था। उस कार्यक्रम में मैं नहीं गया था उक्त कार्यक्रम में मेरे घर से मेरी माँ गयी थी। दोनों पक्ष आपलोग उक्त कानबेध में नहीं गए थे ये बात थानेदार द्वारा बोला गया, आप लोग आपस में समझौता कर लें। इसके पूर्व प्रथम पक्ष से मेरा कोई विवाद नहीं हुआ है। हम दोनों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ था, प्रथम पक्ष मेरा पढ़ाई बाधित करने के उद्देश्य से यह केस किए हैं। अभी भी हमलोग के बीच में लड़ाई झगड़ा की संभावना नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में आपसी मन मुटाव है। गवाहों की गवाही से द्वितीय पक्ष पर लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं क्योंकि गिरधारी लोहरा जिनके घर में घटना घटित हुई है द्वारा बयान दिया गया है कि धमकी की कोई घटना घटित नहीं हुई और ना ही उभय पक्ष घटना वाले दिन उनके घर में उपस्थित हुए थे। वाद के दौरान उभय पक्ष भविष्य में शांति भंग होने के संभावना की पुष्टि नहीं कर पाए। अतः बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।

17/12/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।